न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 320/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/519

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1.गौतमचन्द पुत्र मांगीलाल 2.चिरंजीलाल पुत्र मांगीलाल 3.नरपतलाल पुत्र मांगीलाल 4.रमेशचन्द पुत्र मांगीलाल 5.राकेशकुमार पुत्र मांगीलाल 6.रोशनलाल पुत्र मांगीलाल जाति जैन निवासी–भण्डारीयों का वास,पचपदरा तहसील पचपदरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बालोतरा 3.खेतसिंह पुत्र लखसिंह 4.सुमेरसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत 5.रमेशकुमार पुत्र चुतराराम जाति लखारा निवासी गोलीया आरम्भा वाया पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

<u>**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**</u>

<u>**उपस्थिति–**</u>

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित
3. विप्रार्थी संख्या 02 से 05 एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 26/6/24

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम आरम्भा गोलिया तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 3399 से विभक्त होकर बने खसरा संख्या 3463/3399,3447/3399 व 3446/3399 कायम हुए। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 3463/3399 रकबा 4.6539 हैक्टयर हैं। विप्रार्थी संख्या 02 से 05 की खातेदारी खसरा संख्या 3447/3399 भूमि है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से सड़क निकलने के कारण खसरा संख्या 3446/3399 क्षेत्रफल 0.1457 हैक्टयर कायम हुए। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से सड़क निकलने के कारण प्रार्थीगण [illegible] 15 विस्वा भूमि सड़क के दुसरी तरफ अवस्थित है,लेकिन रकबा भूमि के खसरा नम्बर कायम नहीं किए गए तथा लेकिन प्रार्थीगण का अपनी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आन–लाईन सेग्रीगेशन कार्य के दौराने सड़क के दुसरी तरफ रकबा 15 विस्वा भूमि विप्रार्थी संख्या 02 के खाते में तरमीम कर दी गई, जो कि अशुद्ध तरमीम की गई हैं। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आरण्या गोलिया तहसील पचपदरा की विवादित खसरा संख्या 3463/3399 व खसरा संख्या 3446/3399 की विद्यमान् तरमीम निरस्त करते हुए प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' बरंग पीला मुताबिक 15 बिस्वा भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3463/3399 का अभिन्न अंग मानते हुए नक्शा लट्ठा ट्रेस में बट्टा नम्बर अंकित कर तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 01 को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत जवाब पेश किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 से 05 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई,जो शामिल पत्रावली है।

3.प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि के मूल खसरा संख्या 3463/3399 से विभक्त होकर नए खसरा संख्या 3446/3399 व खसरा संख्या 3463/3399 एवं खसरा संख्या 3446/3399 कायम हुए। खसरा संख्या 3463/3399 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से सड़क निकलने के कारण खसरा संख्या 3446/3399 भूमि विप्रार्थी संख्या 02 के खाते में दर्ज हुई तथा खसरा संख्या 3447/3399 भूमि विप्रार्थी संख्या 02 से 05 की खातेदारी की अवस्थित हैं। विप्रार्थी संख्या 03 से 05 की खातेदारी भूमि की विवादित भूमि से सीमा लगने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया हैं,इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से सड़क निकलने के कारण प्रार्थीगण की भूमि का एक भाग 15 बिस्वा सड़क के दुसरी तरफ अवस्थित रहा। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। लेकिन सड़क के दुसरी तरफ भूमि के खसरा संख्या नहीं दिए गए। विवादित भूमि की आन–लाईन सेग्रीग्रेशन कार्य के दौराने तरमीम मौका–स्थिति अनुरुप करने के बजाय इसके विपरीत तरमीम करने कर दी गई । जिसके कारण सड़क के दुसरी तरफ भूमि 15 बिस्वा को विप्रार्थी संख्या 02 के साथ तरमीम में ली गई,जो कि गलत तरमीम की गई हैं,जबकि मौके पर भूमि अवस्थित हैं। वर्तमान रेकर्ड़ अनुसार तरमीम में अलग खसरा संख्या एवं तरमीम दर्शित नहीं की गई हैं। जबकि तहसीलदार पचपदरा ने अपनी मौका–जांच में स्पष्ट किया है कि मौका कब्जा स्थिति के विपरीत विवादित भूमि की तरमीम हो रखी हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 3463/3399 क्षैत्रफल 4.6539 हैं,जबकि [illegible] हैं। शेष रकबा 0. 1239 हैक्टयर सड़क के दुसरी तरफ अवस्थित भूमि [illegible] हैं। [illegible] में निवेदन किया कि उप तहसीलदार पाटोदी की मौका रिपोर्ट मुताबिक विवादित [illegible] रेकर्ड़ में तरमीम दुरस्ती की जाती हैं,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

4..विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राज.पैरोकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि उप-तहसीलदार पाटोदी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता हैं,तो आपति नहीं हैं। क्योंकि ऐसा किए जाने से मौका एवं रेकर्ड स्थिति में एकरूपता आऐगी।

5.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राज.पैरोकार की की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम आरम्भा गोलिया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 3463/3399 क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अवस्थित हैं। विवादित भूमि में से सड़क मार्ग निकलने के कारण खसरा संख्या 3446/3399 क्षैत्रफल 0.1459 हैक्टयर भूमि विप्रार्थी संख्या 02 की अवस्थित हैं। विप्रार्थी संख्या 02 से 05 की खातेदारी खसरा संख्या 3447/3399 भूमि अवस्थित हैं। पत्रावली के संलग्न हल्का पटवारी पाटोदी द्वारा विवादित भूमि की नक्शा छायाप्रति **P**.35 क्रमांक 6029/09.01.2012 अवलोकन करने से प्रतीत होता हैं कि सड़क के दुसरी तरफ बिना खसरा नम्बर की भूमि अवस्थित हैं। जिसे प्रार्थीगण अपनी मूल खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3463/3399 का भाग होना का दावा कर रहे हैं। जबकि वर्तमान नक्शा ट्रेस की तरमीम विपरीत रखी हैं। इस संबंध में उप तहसीलदार पाटोदी की मौका रिपोर्ट पर गौर किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता हैं। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3463/3399 क्षैत्रफल 4.6539 हैक्टयर राजस्व रिकॉर्ड़ (जमाबंदी) में दर्ज हैं। लेकिन मौके पर क्षेत्रफल 4.5300 हैक्टयर मौजूद हैं। उक्त खसरा सड़क तरमीम होने से दो भागो में विभक्त हुआ,दोनो भागों पर प्रार्थीगण का कब्जा हैं। परन्तु जमाबंदी सेग्रीग्रेशन व तरमीम के समय नम्बर अंदाजी में त्रुटि होने से एक ही खसरे का बट्टा नम्बर दिया जाकर वर्तमान स्थिति दर्ज हुई हैं। जबकि राजस्व रिकॉर्ड़ में सेग्रीगेशन करते समय सड़क तरमीम कार्य के खसरा संख्या 3446/3399 दर्ज किया, जिसमें 15 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की भी शामिल कर दी गई। जबकि लट्ठा ट्रेस में तरमीम खसरा संख्या 3446/3399 (गै.मु.सड़क) में मर्ज बिना नम्बर खसरा को अलग खसरा नम्बर दिया जाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटी शुद्ध हो पायेगी। खसरा संख्या 3463/3399 क्षैत्रफल 4.6539 में से 0.1239 हैक्टयर जो मौके पर नये प्रस्तावित खसरा संख्या का हैं। इस प्रकार उप तहसीलदार पाटोदी ने अपनी समग्र जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अनुशंसा की हैं कि विवादित भूमि कि विदयमान रेकर्ड स्थिति व तरमीम मौका-स्थिति के विपरीत हो रखी हैं तथा सड़क के दुसरी तरफ 15 बिस्वा भूमि जो बिना खसरा नम्बरा के अवस्थित हैं,वे प्रार्थीगण की मूल खसरा संख्या 3463/3399 का ही अभिन्न भाग हैं [...] ऑन-लाइन सेग्रीग्रेशन कार्य के दौराने त्रुटिवश 15 बिस्वा भूमि [...] विप्रार्थी संख्या 01 के खाते में कर दी गई जो कि मुताबिक तरमीम [...] खसरा संख्या 3463/3379 का क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टयर रेकर्ड में इन्द्राज हैं,जबकि मौके [...] क्षेत्रफल 4.5800 हैक्टयर हैं। शेष क्षेत्रफल 0.1239 हैक्टयर बिना खसरा नम्बर भूमि का हैं। उक्त रेकर्ड दुरस्ती किए जाने से मौका एवं रेकर्ड में एकरूपता रहेगी। विप्रार्थी संख्या 02 बावजूद रजिस्ट्री नोटिस तामीली के उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है उन्हे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने में आपति नहीं हैं। इसी प्रकार विप्रार्थी संख्या 02 से 05 भी बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है तथा प्रार्थीगण ने बखूबी अपने आवेदन पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड एवं तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थीगण का आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम—आरम्भा गोलिया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 3463 / 3399 क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टयर के स्थान पर मौका स्थिति अनुसार क्षेत्रफल 4.5300 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में इन्द्राज करते हुए खसरा संख्या 3463 / 3399 का अभिन्न भाग मानते हुए सड़क के दूसरी तरफ अवस्थित भूमि का नया खसरान नम्बर कायम कर क्षेत्रफल 0.1239 हैक्टयर दर्ज करते हुए विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त कर, प्रस्तावित नक्शानुसार तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व—रेकर्ड में दुरूस्ती किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26·6·24 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested